न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 65/2020 (RCMS : 2020/00187) अनवान रामेश्वरी पत्नि रामेश्वर लाल जाति जाट निवासी चक 3 पी.पी.एन. (राजपुरा पिपेरन) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर **बनाम** 1. रामस्वरूप मीणा, तहसीलदार राजस्व, सूरतगढ 2. गायत्री देवी पत्नि दलीप सिंह जाति मेघवाल पेशा खेती निवासी चक 44 एन.आर.डी. तहसील पीलीबंगा हाल आबाद जण्डावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर 3. रामा देवी पत्नि रणजीत सिंह जाति जाट निवासी चक 3 पी.पी.एन. (राजपुरा पिपेरन) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 4. रामेश्वर पुत्र लालू राम जाति जाट निवाासी चक 3 पी.पी.एन. (राजपुरा पिपेरन) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 5. रणजीत पुत्र सरदारा राम जाति जाट निवासी चक 3 पी.पी.एन. (राजपुरा पिपेरन) तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

04.04.2022

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नाई एवं विजय रेवाड़ एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सरपाल उपस्थित है। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया और पत्रावली **का अवलोकन किया गया।**

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरतगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 06/2017 अनवान् गायत्री देवी बनाम रामेश्वरी देवी अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने हेतु प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन तहसीलदार, सूरतगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और नये पीठीसन अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण भी कर लिया गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि विचाराधीन प्रकरण यदि पीठासी अधिकारी के स्थानान्तरण हो जाने के कारण खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:57:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

 मुन्तकिली प्रकरण संख्या 65/2020

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार, सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक्मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:57:13 IST
Reason: SelfAttested